न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा, आर.ए.एस.

वाद सं.– 146/21

शांतिदेवी पत्नि नानूराम जाति जाट निवासी ग्राम लालगढ तहसील बीदासर जिला चूरू

वादीनी

बनाम

1. एजनकंवर पत्नि मोहनसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम लालगढ तहसील बीदासर जिला चूरू
2. प्रेमकंवर पुत्री मोहनसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम लालगढ तहसील बीदासर जिला चूरू
3. सदाकंवर पुत्री मोहनसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम लालगढ तहसील बीदासर जिला चूरू
4. शाखा प्रबधंक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा लालगढ तहसील बीदासर जिला चूरू
5. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन व चिर निषेधाज्ञा की डिग्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :– 1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट– वकील वादी
2. पेरोकार राज

–: निर्णय :– दिनांकः– 01-04-22

प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीनी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 3 तीन के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 1074/66 एक हजार चौहतर बट्टा छियासठ तादादी 0.9901 जीरो दशमवल नौ नौ जीरो एक हेक्टेयर व खसरा संख्या 1078/392 एक हजार अठहतर बट्टा तीन सौ बानवे तादादी 4.5779 चार दशमलव पांच सात सात नौ हेक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम लालगढ तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। खसरा संख्या 1074/66 एक हजार चौहतर बट्टा छियासठ तादादी 0.9901 जीरो दशमवल नौ नौ जीरो एक हेक्टेयर में वादीनी का 3/4 तीन बट्टा चार हिस्सा व खसरा संख्या 1078/392 एक हजार अठहतर बट्टा तीन सौ बानवे तादादी 4.5779 चार दशमलव पांच सात सात नौ हेक्टेयर में वादीनी का 2475/45779 दौ हजार चार सौ पचहतर बट्टा पेंतालीस हजार सात सौ उनयासी हिस्सा है। तथा जिसे आगे इसमें वादगत भूमि के नाम से पुकारा गया है। वादगत भूमि में वादीनी की सम्पूर्ण हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

भूमि केवल खसरा संख्या 1074/66 एक हजार चौहतर बट्टा छियासठ तादादी 0.9901 जीरो दशमवल नौ नौ जीरो एक हेक्टेयर में आई हुई है। वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 3 तीन वादगत खेतों को अलग–अलग काश्त करते आ रहे है। सभी का अलग अलग कब्जा काश्त है। वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 3 तीन का खान–पान, रहन–सहन सब अलग–अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त अंकित होने के कारण वादीनी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानीयां उठानी पड रही है। इस कारण वादीनी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि में सें अपनी हिस्सा भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये जिसके लिए वादीनी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादीनी ने दिनांक 10.12.2021 को प्रतिवादीगण से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेतों का विधिवत विभाजन करवाकर अपने–अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादीगण साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादीगण ने वादीनी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादीनी को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादीनी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादीनी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 3 तीन को वर्जित कराये कि वोह वादीनी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय, हस्तांतरण, रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादीनी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें, रूकावटें आदि स्वंय पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादीनी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादीनी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादीगण की ऐलानियां धमकियां से वादीनी को वाद हेतुक प्राप्त है। वाद में राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार है। राजस्थान सरकार के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने के कारण एंव प्रतिवादीगण द्धारा वादीनी को जबरन बेदखल करने की ऐलानियां धमकियां दिये जाने के कारण वाद तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हो गया है।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

इस कारण राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। वादीनी द्वारा दावा पेश करने के लिए अलग से धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत न्यायालय से अनुमति लेकर यह दावा पेश किया जा रहा है। वाद वादीनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम लालगढ तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। इस कारण इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादीनी निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बावजुद तामिल उपस्थित नहीं। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादीनी द्वारा साक्ष्य वादी में अपना शपथ पत्र पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीनी की ओर से साक्ष्य में पेश शपथ–पत्र का अवलोकन किया गया। वादीनी ने वादगत भूमि में खसरा संख्या 1074/66 तादादी 0.9901 हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण अपने अकेली के नाम दर्ज करने का निवेदन किया है। वादीनी के वाद को डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादीनी के वाद को इस प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम लालगढ के खसरा संख्या 1074/66 तादादी 0.9901 हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण को अकेली वादीनी शांतिदेवी पत्नि नानूराम जाति जाट निवासी ग्राम लालगढ के नाम अलग खातेदारी में दर्ज कर लगान का विभाजन करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। प्रतिवादी सदाकंवर की सम्पूर्ण हिस्सा भूमि खसरा संख्या 1078/392 में संयुक्त दर्ज की जावे। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। अंतिम डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकार स्वंय वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 01-04-2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner